न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 33 / 2022

उनवान

1– बलवन्त सिंह पुत्र नन्दसिंह राजपूत निवासी खामोर

2– भारतसिंह पुत्र बहादुर सिंह रेबारी निवासी खामोर

– प्रार्थीगण

बनाम

1– उगमी पत्नी हरनाथ तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

2– कमला पत्नी मिश्री तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

3– कैलाश पुत्र मिश्री तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

4– गीता पुत्री कल्याण तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

5– गोविन्द पुत्र मिश्री तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

6– जगदीश पुत्र मिश्री तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

7– दुर्गा पुत्री कल्याण तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

8– देवराज पुत्र हरनाथ तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

9– बरदीलाल पुत्र कल्याण तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

10– बाली पुत्री कल्याण तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

11– रूकमा पत्नी कल्याण तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

12– रामकिशन पुत्र मिश्री तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

13– रामेश्वर पुत्र हरनाथ तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

14– शान्ती पुत्री हरनाथ तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

15– सांवरलाल पुत्र कल्याण तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

16– सीता पुत्री हरनाथ तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

17– हनुमान पिता मिश्री तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

18– छोटू पुत्र धन्ना तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

19– राधेश्याम पिता धन्ना तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

20– लीला पत्नी भेरूलाल तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

21– भुरा पिता लादु तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

22.राजी पत्नी महावीर तेली निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

23.देवराज पिता छगना जाट निवासी खामोर

24– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री अक्षयराज रेबारी
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 07 / 06 / 2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण के ग्राम **खामोर** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1961 रकबा 0.08 है0, 1963 रकबा 0.22 है0** कुल किता **2** रकबा **0.30** हैक्टेयर के **प्रार्थीगण** काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। **प्रार्थीगण** एवं **विपक्षीगण** के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक **प्रार्थीगण** सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम खामोर संवत** 2076 से

खण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **खामोर** में स्थित **प्रार्थीगण** की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् **किता 2 रकबा 0.30 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/— रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **07/06/2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :— तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.